


राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(1)स्था/मंत्रा/डीपीसी/आईसीडीएस/14/ जयपुर, दिनांक : 11-9-18  
163661

आदेश


राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं संशोधित नियम 2015 तथा 2017 के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 02-08-2018 को सम्पन्न बैठक में की गयी सिफारिश के आधार पर गैर टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत श्री नरेश चन्द्र शर्मा (सामान्य वर्ग) अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को चयन वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लेवल पे मैट्रिक्स एल-12 में पदोन्नत किया जाता है। श्री शर्मा का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(1)स्था/मंत्रा/डीपीसी/आईसीडीएस/14/ जयपुर, दिनांक : 11-9-18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 163665-674

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण
5. उप निदेशक (प्रशिक्षण/विखाका) मुख्यालय जयपुर।
6. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. कार्यालय अधीक्षक, मुख्यालय।
8. श्री नरेश चन्द्र शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
10. व्यक्तिगत/आदेश पत्रावली

  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर